क्षेत्रवाद (~~Religion~~)(Regionalism)

भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीयतावाद से अभिप्राय है - राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रान्त की अपेक्षा एक छोटे क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति भक्ति या विशेष आकर्षण दिखाना। इस दृष्टि से क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीयता की वृहद भावना का विलोम है और इसका ध्येय संकुचित क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति होना है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में यह एक ऐसी धारणा है जो भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि पर आधारित है और जो विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देती है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के कई कारण हैं- भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक कारण, भाषा, जाति और राजनीतिकारण।

1- पृथक राज्यों की मांग - क्षेत्रीयतावाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष पृथक राज्य की मांग रही है। आर्थिक पिछड़ेपन, जाति, भाषा, धर्म को लेकर विभिन्न क्षेत्रों द्वारा पृथक राज्य की मांग समय-समय पर उठायी गयी तथा क्षेत्रीय आन्दोलनों की शुरुआत की गई। इस समय आठ नए राज्यों के गठन के बिरुद्ध पुरजोर मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, हरित प्रदेश एवं बुंदेलखण्ड, महाराष्ट्र में विदर्भ, गुजरात में सौराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश में तेलंगाना, असम में बोडोलैण्ड तथा पश्चिमी बंगाल में गोरखालैण्ड।

2- अंतर्राज्यीय झगड़े - क्षेत्रीयतावाद का एक महत्वपूर्ण पक्ष विभिन्न राज्यों के आपसी झगड़े हैं। राज्यों के बीच सीमा विवादों एवं नदी पानी विवादों को लेकर राज्य में उग्र मतभेद एवं तनाव बढ़े हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के बीच नर्मदा नदी के जल का विवाद, राजस्थान और पंजाब के बीच भाखड़ानांगल बांध से उत्पन्न बिजली एवं जल विवाद, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी केरल राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक, पंजाब तथा हरियाणा के बीच सीमा विवाद अन्तर्राज्यीय झगड़ों का मुख्य उदाहरण है।

3- स्वायत्तता की मांग - भारतीय संविधान द्वारा ऐसे संघवाद की स्थापना की गई है जिसमें स्वाभाविक रूप से केन्द्र शक्तिशाली है। विगत कुछ वर्षों से मांग की जाती रही है कि भारतीय संविधान के संघवाद से संबंधित प्रावधानों

G.P. Rathaur

Scanned by TapScanner

का पुनरीसण किया जाना चाहिए तथा राज्यों की केंद्र पर अत्यधिक निर्भरता को कम कर दिया जाना चाहि मांग की गई है कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। पंजाब, पश्चिमी बंगाल, कश्मीर, तमिलनाड आदि राज्य स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं।

4- उत्तर-दक्षिण की भावनाएं- भारत में उत्तर और दक्षिण के संदर्भ में सोचने की प्रवृत्ति पायी जाती है। दक्षिण के लोग यह महसूस करते हैं कि उत्तरी भारत के लोगों ने सदैव हर मामले में उनकी उपेक्षा की है। दक्षिण के राज्यों का विचार है कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत को वे लाभ नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे।

5- भाषावाद- संविधान ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित किया। भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण एवं पुनर्गठन हुआ। दक्षिण के लोग हिन्दी भाषा का बिरोध करने लगे। वे राजभाषा के रूप में हिन्दी को पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि हिन्दी इस स्थिति में नहीं है कि वह भारत की राजभाषा बन सके। भाषा के प्रश्न को लेकर उत्तर तथा दक्षिण के राज्यों में हिंसात्मक आन्दोलन हुए और राष्ट्रीय एकता संकट में पड़ गई।

6- भारत से पृथक होने की प्रवृत्ति- भारत संघ के कुछ ऐसे राज्य हैं जो भाषा, क्षेत्र, एवं धर्म के आधार पर भारत से पृथक होना चाहते हैं। इनमें तमिलनाड़ु, पंजाब, असम, नागालैण्ड एवं कश्मीर आदि राज्य हैं।

7- क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अभ्युदय- पिछले कुछ वर्षों से भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का निर्माण एवं प्रभाव बढ़ता जा रहा है। लगभग सभी क्षेत्रीय दलों का उदय और विकास क्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी अनेक कारणों के मिश्रण से ही होता है। तमिलनाड़ु में डी.एम.के. और अन्ना डी.एम.के., पंजाब में अकाली दल, जम्मू-कश्मीर में नेशनल कान्फ्रेंस, आन्ध्र प्रदेश में तेलगू देशम, असम में असम गण परिषद प्रधान क्षेत्रीय दल हैं।

Scanned by TapScanner